



भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं ० Inclusion/३/Kharwar(UP)/2017/RU-I

दिनांक: ०३/१/१८

सिटिंग नोटिस

विषय: उत्तर प्रदेश में खरवार समुदाय को अनुसूचित जाति की जगह अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी करवाने के सम्बन्ध में श्री संतोष खरवार का दिनांक 17.07.2017 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंब्यक पत्र दिनांक 16.08.2017।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (अभ्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न है)।

2. श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 15.01.2018 को 12:00 बजे रिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए खतंत्र होगा।

२१८

(राजेश्वर कुमार)
भाषायक निदेशक

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश सचिवालय,
लखनऊ - 226016।